

## नीलामी सूचना

सं.: LMC/Tree/MB/2020

दिनांक: 28.12.2020

सहायक मंडल अभियंता/मुख्यालय/मुरादाबाद के अधीन रेलवे कॉलोनी, चन्दौसी में **187 खतरनाक पेड़ों** की सहायक मंडल अभियंता/मुख्यालय/मुरादाबाद के कार्यालय में की जायेगी। नीलामी के इच्छुक पार्टियों को आमंत्रित करता है कि वे नीलामी में भाग लें।

**नीलामी स्थान:** सहायक मंडल अभियंता/मुख्यालय/मुरादाबाद के अधीन दिनांक **06.01.2021** को समय प्रातः **11.00 बजे** नीलामी की जायेगी।

**1.** प्रत्येक क्रेता को नीलामी के दिन सहायक मंडल अभियंता/मुख्यालय/मुरादाबाद में **रुपये 100/-** केवल नकद जमा करने होंगे जो वापस नहीं किए जाएंगे तथा भारतीय स्टेट बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा **प्रवर मंडल वित्त प्रबंधक, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद के पक्ष में रुपये 8,000/- के मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करना होगा।**

**2.** प्रत्येक क्रेता को जो नीलामी में भाग ले रहा है उसे नीलामी के द्वारा बिक्री से सम्बन्धित नियमों एवं भत्तों की जानकारी रखनी होगी।

**3.** सफल खरीददार को उसी दिन भारतीय स्टेट बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा प्रवर मंडल वित्त प्रबंधक, मुरादाबाद के पक्ष में **निम्नलिखित दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट या नकद स्टेशन अर्निंग में जमा करना होगा।**

**क. रु. 1,00,000/-** से अधिक की खरीद पर बिक्री मूल्य का **10 प्रतिशत** या कम से कम **रु. 25,000/-** (जो भी अधिकतम हो)।

**ख.** नीलामी की कीमत का बाँकी पैसा **10 दिन के अंदर** जमा करना होगा (नीलामी के दिन को जोड़कर)।

**ग.** जी.एस.टी. @ **18%** कुल कीमत पर देय होगा, जोकि 10 दिन के अन्दर जमा करना होगा (नीलामी के दिन को जोड़कर)।

**4.** पैसा जमा करने की दिनांक से **60 दिन के अंदर** कार्य सम्पूर्ण करना होगा। (नीलामी के दिन को जोड़कर)

**5.** रेलवे को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय कार्य को बन्द कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में बची हुयी राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी।

**6.** पेड़ों का संपूर्ण विवरण लोकेशन सहित मण्डल कार्यालय मुरादाबाद में उपलब्ध रहेगा।

**7.** खरीददार पेड़ों की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए रेट बोलें।

**8.** माल की संपूर्ण एवं डिलीवरी सीनियर सेक्शन इंजीनियर/कार्य, आई.एस.ए. एवं आर.पी.एफ. की उपस्थिति में की जाएगी।

**9.** **बाँकि रकम 10 दिन के अन्दर** जमा करनी होगी (नीलामी के दिन को जोड़कर) अन्यथा पहली रकम जो जमा की गई है वो जब्त हो जाएगी।

**10.** खरीददार रेलवे की जमीन पर कोई कच्ची या पक्की झोपड़ी इत्यादि नहीं बना सकता।

**11.** बोली बेस प्राइस से नीचे नहीं लगायी जाएगी।

**12.** डिमाण्ड ड्राफ्ट सहायक मंडल अभियंता/मुख्यालय/मुरादाबाद में नीलामी के दिन प्रातः **9.00 बजे** से **10.30 बजे** तक जमा किए जायेंगे। बाद में कोई डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2880/2020